

अंतिम विनियम

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2023

क्रमांक 216/मप्रविनिआ/2023 - मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 160 दिनांक 16 जनवरी, 2023 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग चार में दिनांक 20 जनवरी, 2023 को पृष्ठ क्रमांक 13 पर किया गया है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्रोतों से विद्युत का सह-उत्पादन तथा उत्पादन), (पुनरीक्षण-द्वितीय), विनियम 2021 (प्रथम संशोधन) [ए.आर.जी.- 33 (II) (i) वर्ष 2023] के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण में विनियम 3.1 की तालिका में, वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल नवीकरणीय क्रय आबन्ध (आर.पी.ओ.) त्रुटि के साथ प्रकाशित हो गया है।

अतएव यह शुद्धि-पत्र इस त्रुटि के सुधार हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। उपरोक्त दर्शाये विनियम के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण में विनियम 3.1 की तालिका में, वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल नवीकरणीय क्रय आबन्ध (आर.पी.ओ.) 26.89% के स्थान पर 27.39% पढ़ा जावेगा।

उमाकांता पॉन्डा, सचिव

Bhopal, the 24th January 2023

No.216 MPERC/ 2023 - In the Hindi and English versions of notification no. 160 dated 16 January 2023 of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission. published at page 13, Part 4 of Madhya Pradesh Gazette on 20 January 2023, in the Table of Regulation 3.1 of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Co Generation and Generation of Electricity from Renewable Sources of Energy) (Revision-II) Regulations 2021 (First Amendment) [ARG-33 (II) (i) of 2023], Total RPO for the Financial Year 2023-24 is erroneously published.

Therefore, this corrigendum is published for correction of the error. In Hindi and English versions of the above mentioned Regulation, in the Table of Regulation 3.1, Total RPO for the Financial Year 2023-24 shall be read as 27.39% instead of 26.89%.

UMAKANTA PANDA, Secy.